**भारत सरकार**

**खान मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न सं. 146**

**16 दिसम्‍बर, 2013 को उत्‍तर के लिए**

**लौह अयस्क का अवैध खनन**

**146. डा. जनार्दन वाघमरे :**

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में विभिन्न राज्यों में लौह अयस्क के अवैध खनन को नियंत्रित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए मंत्रालय की तीखी आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर क्या तात्कालिक कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार अनेक राज्यों में लौह अयस्क के अवैध खनन पर रोक लगाने में पूरी तरह से विफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देश भर में लौह-अयस्क के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अन्य क्या-क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

**उत्‍तर**

**खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल)**

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

\*\*\*\*\*

**लौह अयस्क का अवैध खनन के बारे में डा. जनार्दन वाघमरे द्वारा पूछे गए दिनांक 16.12.2013 के राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. 146 के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण**

(क) : जी नहीं । उच्‍चतम न्‍यायालय के ऐसे कोई आदेश नहीं है जिनमें उन्‍होंने विभिन्न राज्यों में लौह अयस्क के अवैध खनन को नियंत्रित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए मंत्रालय की तीखी आलोचना की है । तथापि, एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल ने 30.10.2013 को रिपोर्ट दी कि उच्‍चतम न्‍यायालय ने विभिन्न राज्यों में लौह अयस्क के अवैध खनन को नियंत्रित करने हेतु “कोई कार्रवाई नहीं” करने के लिए खान, और पर्यावरण एवं वन मंत्रालयों की तीखी आलोचना की है ।

(ख) : उपर्युक्‍त (क) के आलोक मे प्रश्‍न नही उठता ।

(ग) : जी नही ।

(घ) : केंद्र सरकार ने राज्‍यों के साथ समन्‍वय करके देश में अवैध खनन की रोकथाम और उसे नियंत्रित करने के लिए निम्‍नलिखित कदम उठाएं है :

(i) एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23ग के अनुसार अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए राज्‍य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों की सतत निगरानी (अब तक 20 राज्‍यों ने नियम बनाए हैं) ।

(ii) वर्ष 2005 से अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए राज्‍य और जिला स्‍तर पर गठित कार्यदलों की सतत निगरानी (अब तक 23 राज्‍यों से कार्यदल गठित करने की सूचना प्राप्‍त हुई है) ।

(iii) रेलवे, सीमाशुल्‍क और बंदरगाह प्राधिकरणों को शामिल कर अवैध खनन को नियंत्रित करने संबंधी प्रयासों के समन्‍वय के लिए गठित राज्‍य समन्‍वयन-सह-अधिकार प्राप्‍त समिति (एससीईसी) की सतत निगरानी (13 राज्‍य सरकारों ने ऐसी समितियां गठित कर ली हैं) ।

(iv) सुदूर संवेदन के प्रयोग, यातायात पर नियंत्रण, बाजार आसूचना एकत्र करना, अंत्‍य प्रयोकताओं का पंजीकरण और विशेष सेल गठित करना आदि सहित अवैध खनन का पता लगाने और नियंत्रित करने संबंधी विशिष्‍ट उपायों के लिए एक कार्य योजना अपनाने के लिए राज्‍य सरकारों के साथ सतत अनुवर्तन ।

(v) अवैध खनन के लिए राज्‍य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई की विशेष रूप से समीक्षा करने के लिए खान मंत्रालय ने 03.08.2009, 27.11.2009, 22.02.2010, 16.04.2010 और 21.09.2010 को राज्‍य सरकारों के साथ पांच बैठकें की हैं । इस आवधिक समीक्षा को केंद्रीय समन्‍वयन-सह-अधिकार प्राप्‍त समिति की बैठकों की बैठके के साथ मिला दिया गया है ।

(vi) सचिव (खान) के अधीन 04.03.2009 को गठित केन्‍द्रीय समन्‍वयन-सह-अधिकार प्राप्‍त समिति ने सभी खनन संबंधी मुद्दों तथा अवैध खनन को रोकने से संबंधित गतिविधियों के समन्‍वयन संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए दिनांक 24.07.2009, 22.12.2009, 18.06.2010, 22.12.2010, 03.05.2011, 20.09.2011, 16.01.2012, 27.03.2012, 28.06.2012, 21.09.2012 15.01.2013, 14.5.2013, 10.9.2013 को 13 बैठकें की ।

(vii) रेलवे ने बाड़ लगाने और रेलवे साइडिंगों पर चेक पोस्‍ट बनाने के उपाय के साथ-साथ एक प्रणाली शुरू की है जिसमें केवल रेकवाइज जारी और राज्‍य सरकार द्वारा सत्‍यापित परमिटों पर लौह अयस्‍क के परिवहन की अनुमति होगी ।

(viii) सीमा-शुल्‍क विभाग ने अपने सभी फील्‍ड यूनिटों को अयस्‍क निर्यात संबंधी सूचना राज्‍य सरकार के साथ बांटने के निर्देश जारी किए हैं ।

(ix) जहाजरानी मंत्रालय ने सभी बड़े पत्‍तनों को निदेश जारी किए हैं कि सड़क और रेल द्वारा पत्‍तनों में निर्यात के लिए माल के आवागमन हेतु सत्‍यापन प्रक्रिया को दुरूस्‍त बनाए ।

(x) सरकार ने दिनांक 09.02.2011 को खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के नियम 45 में संशोधन अधिसूचित किया है जिसके द्वारा सभी खनिकों, व्‍यापारियों, स्‍टॉकिस्‍टों, निर्यातकों और अंत्‍य उपयोक्‍ताओं को आईबीएम में पंजीकरण और खनिजों के सम्‍पूर्ण लेखांकन के लिए मासिक आधार पर खनिजों के लेद-देन संबंधी रिपोर्ट प्रस्‍तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है । आईबीएम ने भी राज्‍य सरकारों से अनुरोध किया है कि गैर पंजीकृत ऑपरेट्ररों को खनिजों को लाने ले जाने के लिए ट्रांजिट पास जारी न करे ।

(xi) भारतीय खान ब्‍यूरों ने सैटेलाइट छायाचित्रणों की सहायता से स्‍थानिक क्षेत्रों में खानों का निरीक्षण करने के लिए विशेष कार्यदलों का गठन किया है ।

(xii) मंत्रालय खनिज रियायत प्रणाली को दूरस्‍थ करने के लिए विभिन्‍न प्रक्रियाओं को स्‍वाचालित करने के लिए ‘खनन टेनामेंट प्रणाली’ विकसित कर रहा है इससे अनुमोदित खनन योजनाएं पब्‍लिक डोमेन में उपलब्‍ध हो सकेगी ।

(xiii) केंद्र सरकार ने देश में लौह अयस्‍क और मैंगनीज की बड़े पैमाने पर होने वाली अवैध खनन की जांच करने के लिए न्‍यायमूर्ति एम.बी.शाह आयोग का गठन किया है । आयोग ने ‘प्रथम अंतरिम रिपोर्ट’ प्रस्‍तुत करने के पश्‍चात गोवा राज्‍य पर तीन रिपोर्ट; ओडिसा राज्‍य पर दो रिपोर्ट और झारखंड राज्‍य पर एक रिपोर्ट प्रस्‍तुत की है ।

\*\*\*\*\*\*